डॉ० च० चन्द्रमौलि
Dr. C. CHANDRAMOULI

सत्यमेव जयते

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त
गृह मंत्रालय
भारत सरकार
Registrar General & Census Commissioner, India
Ministry of Home Affairs
Government of India

No. 1/12/2014-VS(CRS) 27th July, 2015

CIRCULAR

Subject: Acceptance of the birth/death certificates issued through CRS application-reg.

The registration of births and deaths in India is being done under the provisions of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and corresponding rules made thereunder. The office of Registrar General of India has developed uniform software for Registration of Births and Deaths and issuance of certificates registered through the system. After implementing this software, the birth and death certificates are being issued through this software under the provisions of Section 12/17 of the RBD Act, 1969.

2. The certificates issued through the software which is accessible at 'crsorgi.gov.in' have unique registration number to each registered event across the country. These certificates are enabled with quick response (QR) code and the authenticity of the certificate can be verified from the website **'crsorgi.gov.in'**. These certificates of birth and death are legally valid document and may be considered as authentic proof for all Government as well as Non-Government purposes. The process of generation of birth/death certificate through the application is as under:

"The events reported by the informants are being registered by the registrars using their user id & password and after approval of the registrar, the certificates are being generated electronically and either manual or digital or facsimile signature of the issuing authority appears on the certificates. This certificate is being generated after checking the correctness of the records. The certificates thus generated will be made available in the public portal of the O/o RGI."

3. All concerned departments of Central Governments and State Governments are requested to ensure that the certificates issued by the Registrars/Sub- Registrars through the application are accepted, and not to insist for original certificates carrying manual signature of the issuing authority. All heads of Departments may bring this to the notice of their sub-offices for compliance.

4. This Circular is being issued in exercise of powers conferred under Section 3 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969, to enable the general public to get the certificates free of cost from their own home.

(C. Chandramouli)
Registrar General, India

CENSUS OF INDIA 2011
2-A, Mansingh Road, New Delhi-110011; Phone : (91) (11) 23383761; Fax : (91) (11) 23383145
e-mail : rgi.rgi@nic.in website : www.censusindia.gov.in

No. 1/12/2014-VS(CRS) **27th July, 2015**

To

Secretaries of Ministry of External Affairs, Department of Financial Services, Election Commission of India, GOI
All the Chief/Dy. Chief/ Addl. Chief Registrars of Births and Deaths
All the Directorate of Census Operations
All the District Registrars of Births & Deaths
All the District Magistrates/Collectors/Deputy Commissioners
All the Heads of Life Insurance Companies (Public/Private Sector life Insurance Companies)
Chairperson/Director, Central Board of Secondary Education
All Chief Passport Officers
All Regional Transport Officers
Official website of ORGI

Forwarded/By Order

27/7/15
(R. K. Gautam)
Deputy Registrar General

हिन्दी रूपान्तर

डॉ. च. चन्द्रमौलि
Dr. C. CHANDRAMOULI

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त
गृह मंत्रालय
भारत सरकार
Registrar General & Census Commissioner, India
Ministry of Home Affairs
Government of India

संख्या 1/12/2014-वीएस (सीआरएस)

27 जुलाई, 2015

परिपत्र

विषय: सीआरएस एप्लिकेशन के माध्यम से जारी जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्रों की स्वीकृति के संबंध में।

भारत में जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए समवर्ती नियमों के अंतर्गत किया जाता है। भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के लिए एवं इस प्रणाली के अंतर्गत प्रमाणपत्र जारी करने हेतु एकरूप सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इस सॉफ्टवेयर के लागू होने के बाद आर.बी.डी. अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 के प्रावधानों के तहत जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं।

2. देशभर में पंजीकृत प्रत्येक घटना को विशिष्ट पंजीकरण संख्या देते हुए इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं जोकि 'crsorgi.gov.in' पर उपलबध हैं। इन प्रमाणपत्रों में क्विक रेसपोंस (क्यू आर) कोड सक्रिय हैं और प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता की जांच वेबसाइट- 'crsorgi.gov.in' से की जा सकती है। ये जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र कानूनी रूप से वैध दस्तावेज है और इन्हें सभी सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रामाणिक प्रमाण माना जा सकता है। एप्लिकेशन द्वारा जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र के सृजन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

"सूचना देने वालों द्वारा सूचित घटनाओं को रजिस्ट्रारों द्वारा अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर पंजीकृत किया जाता है और रजिस्ट्रार के अनुमोदन के बाद इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाण-पत्र तैयार किए जाते हैं, इन प्रमाण पत्रों पर जारी करने वाले प्राधिकारी के हाथ से किए गए अथवा डिजिटल अथवा फैसिमाइल हस्ताक्षर दर्शित होते हैं। यह प्रमाणपत्र रिकार्डों की यथार्थता की जांच के बाद तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार तैयार प्रमाणपत्रों को भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।"

3. केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के सभी संबंधित विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि रजिस्ट्रारों/उप-रजिस्ट्रारों द्वारा एप्लिकेशन के माध्यम से जारी प्रमाण-पत्रों को स्वीकृत करना सुनिश्चित करें और जारी करने वाले प्राधिकरण के हाथ से हस्ताक्षरित मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर बल न दें। सभी विभागों के प्रधान इसके अनुपालन हेतु इसे अपने उप-कार्यालयों के संज्ञान में लाएं।

4. यह परिपत्र जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया जा रहा है ताकि सामान्य जन अपने घरों से ही ये प्रमाण पत्र निःशुल्क प्राप्त कर सकें।

ह०

(च. चन्द्रमौलि)
भारत के महारजिस्ट्रार

संख्या 1/12/2014-वीएस (सीआरएस) **27 जुलाई, 2015**

सेवा में

विदेश मंत्रालय, वित्त सेवा प्रभाग, भारत निर्वाचन आयोग, भारत सरकार के सचिव
सभी प्रमुख/उप-प्रमुख/जन्म एवं मृत्यु के अपर मुख्य रजिस्ट्रार
सभी जनगणना कार्य निदेशालय
जन्म एवं मृत्यु के सभी जिला रजिस्ट्रार
सभी जिला मैजिस्ट्रेट/आयुक्त/उपायुक्त
जीवन बीमा कम्पनियों के सभी प्रमुख (सार्वजनिक/निजी क्षेत्र जीवन बीमा कम्पनियों)
अध्यक्ष/निदेशक, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सभी मुख्य पासपोर्ट अधिकारी
सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
ओआरजीआई की आधिकारिक वेबसाइट.

आग्रेषित/आज्ञा से

राजकुमार गौतम

(आर.के.गौतम)
उप महारजिस्ट्रार